पंचायतों की सक्षमता बढ़ाने पर जोर

—चौधरी बीरेंद्र सिंह

अप्रैल 1993 से प्रभावी संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में संस्थापित किया। यह तारीख राजनीतिक शक्ति के जनता तक विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पंचायतों की गरीबी मिटाने, स्थानीय अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मानवशक्ति, कार्यालय, अंतरिक्ष, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए पंचायतों का सशक्तीकरण अत्यावश्यक है।

मंत्रालय का प्रयास रहा है कि पंचायतों की जनता तक नियत सेवाएं पहुंचाने की क्षमता बढ़ाई जाए, राज्यों को पंचायतों को और अधिकार सम्पन्न बनाने में मदद की जाए और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाए। मंत्रालय ने वर्ष 2014–15 में अपने प्रमुख कार्यक्रम–राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) के माध्यम से इन कार्यों को अंजाम दिया। वर्ष के दौरान, मंत्रालय ग्राम पंचायत–स्तर पर 75,000 से ज्यादा कर्मियों, 2037 नए पंचायत के भवनों और ग्राम पंचायतों के लिए 19,741 कंप्यूटरों हेतु मंजूरी प्रदान की गई। पंचायतों कि लगभग 17 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को भी मंजूरी दी गई। आरजीपीएसए के माध्यम से पंचायतों के सशक्तीकरण ने सुशासन में सहायता दी है और समाज के निर्धन वर्गों के लिए सेवाओं को निचले स्तर तक बेहतर ढंग से पहुंचाया है। पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। ऐसे में पंचायतों के सशक्तीकरण का अभिप्राय गरीबों की सहायता से जुड़े कार्यक्रमों और गतिविधियों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाली गरीबों की पक्षधर संस्थाओं का सशक्तीकरण है।

वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम (बीआरजीएफ) को भी लागू किया, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय विकास से जुड़े असंतुलनों को मिटाने और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के आधार पर अन्य योजनाओं की संसाधन संबंधी कमियों को दूर करने तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं के क्षमता निर्माण के लिए देश के 272 पिछड़े जिलों को धनराशि प्रदान की गई। वर्ष 2014–15 के दौरान विकास अनुदान संघटक के रूप में 185 जिलों के लिए 2,779.41 करोड़ रुपये की धनराशि और क्षमता निर्माण अनुदान संघटक के रूप में 11 राज्यों के लिए 57.59 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। ज्यादातर प्रस्ताव ई–कार्यालय में संसाधित किए गए जिसके परिणामस्वरूप उन्हें तत्काल निपटाया जा सका। वर्ष 2015–16 से बीआरजीएफ को आरजीपीएसए के राज्य संघटक सहित राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

मंत्रालय की ई–पंचायत योजना का लक्ष्य पंचायतों के कार्यकलापों को स्वचालित बनाना और नियोजन, निगरानी, कार्यान्वयन, बजट बनाने, लेखा परीक्षण, सामाजिक अंकेक्षण तथा प्रमाणपत्र, लाइसेंस आदि जारी करने जैसी नागरिक सेवाओं की सुपुर्दगी से संबंधित पंचायत के कार्यकलापों के समस्त पहलुओं को हल करना है। ई–पंचायत योजना के अंतर्गत साल भर में की गई पहलों में स्थानीय निकायों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से अवगत कराने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत के पदाधिकारियों के लिए आईटी प्रशिक्षण में जीआईएस अवधारणाओं का समावेश करना, 10 ग्राम पंचायतों में पंचायत की परिसम्पत्तियों की मैपिंग की प्रायोगिक योजना और इस उद्देश्य के लिए मोबाइल अनुप्रयोग, पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्यों और संघशासित प्रदेशों आदि के साथ साझा की गई ई–गर्वनेंस परिप्रेक्ष्य योजना के विकास के लिए टेम्पलेट बनाना शामिल है। मंत्रालय, पंचायतों के जरिए सेवाओं की इलैक्ट्रॉनिक ढंग से सुपुर्दगी को बढ़ावा दे रहा है और उसने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि की बेहतरीन पद्धतियों के अनुभवों को अन्य राज्यों और संघशासित प्रदेशों के साथ बांटना सुगम बनाया है। मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी साक्षरता को निचले स्तर तक लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

मंत्रालय पंचायत के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए 'सक्रिय पंचायत या एक्टिव पंचायत' श्रृंखला के अंतर्गत सरल अध्ययन सामग्री तैयार करता आया है और उसने वर्ष के दौरान पांच पुस्तकें तैयार करके राज्यों को उपलब्ध करायी। ये पुस्तकें ग्राम पंचायतों में साफ–सफाई, ग्राम पंचायतों में पेयजल, ग्राम पंचायतों में गवर्नेंस, ग्राम पंचायतों में बाल विकास और ग्राम पंचायतों में पशुपालन से संबंधित हैं। राज्य इन पुस्तकों का अनुवाद करवा रहे हैं और उन्हें अपने अनुकूल बना रहे हैं।'सक्रिय ग्रामसभा या एक्टिव ग्रामसभा' श्रृंखला के अंतर्गत राज्यों को ग्रामसभा की साफ–सफाई के संबंध में रीडर भी उपलब्ध कराया गया है। ये पुस्तकें पंचायतों को गरीबों की सहायता करने में और ज्यादा सक्षम बनाने में राज्यों की मदद करेंगी।

पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की शिक्षा देने के लिए ऑडियो–वीडियो और एनिमेशन प्रशिक्षण फिल्में बनायी गई हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के सम्पर्क संबंधी विवरण के आंकड़े (मोबाइल नम्बर और ई–मेल एड्रेस) एकत्र और संकलित किए गए हैं और उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंप दिया गया है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल लघु संदेशों के सम्प्रेषण में किया जाएगा।

14वें वित्त आयोग (एफएफसी) ने वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों को 2,00,292.20 करोड़ रुपये का अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। यह धनराशि 13वें वित्त आयोग के अनुदान से तीन गुना अधिक है। यह अनुदान जलापूर्ति, स्वच्छता सहित रिसाव प्रबंधन, गंदा पानी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अत्याधिक बारिश के बाद एकत्र अतिरिक्त जल की निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों और स्ट्रीट लाइटिंग तथा कब्रिस्तानों और शमशानों के रखरखाव सहित बुनियादी सेवाओं की दशा में सुधार लाने के दौरान उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है। इस अनुदान का कुशलतापूर्वक उपयोग एक बड़ी चुनौती है और मंत्रालय पंचायतों को इस विशालकाय कार्य को करने में सक्षम बनाने के तौर–तरीकों के संबंध में पिछले कुछ महीनों से राज्य सरकारों के साथ गहन विचार–विमर्श कर रहा है। मंत्रालय ने एफएफसी की सिफारिशों तथा एफएफसी की निधियों के त्वरित और प्रभावपूर्ण इस्तेमाल के लिए राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से अवगत कराने के लिए पंचायती राज के राज्य सचिवों के साथ 8 मई, 2015 को दिन भर बैठक की थी। मंत्रालय ने 11–13 जून, 2015 को हैदराबाद में 'अपने स्रोत से राजस्व' (ओएसआर) पर कार्यशाला का आयोजन किया। 24 राज्यों ने कार्ययोजनाएं तैयार कीं और 10 सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान की गई, जिनका प्रलेखन और प्रसार किया जाएगा। मंत्रालय ने 8–13 जून, 2015 को सभी राज्यों के साथ पांच दिन की महत्वपूर्ण *राइटशॉप* का आयोजन किया, जिसमें राज्य विशेष के अनुसार दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया, ताकि राज्य की ग्राम पंचायत स्तर की योजनाएं बना सकें। मंत्रालय राष्ट्रीय–स्तर के जानकार लोगों के साथ भी विचार–विमर्श कर रहा है, जिन्हें राज्यों का प्रभार सौंपा जाएगा। ये लोग ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में पंचायतों की सहायता करेंगे।

आने वाले महीनों के दौरान मंत्रालय के प्रयासों में एफएफसी निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने, पंचायत पदाधिकारियों को अपने कार्यों को दक्षता से संपन्न करने में सक्षम बनाने के लिए उनका क्षमता निर्माण करने, ग्राम पंचायत स्तर पर ई–गवर्नेंस उपलब्ध कराने, जो पंचायतों को आधुनिकता एवं कार्यदक्षता का प्रतीक बनाएगा और बड़े पैमाने पर आईसीटी संस्कृति का समावेशन करेगा, पंचायती राज (अनुसूची क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) के प्रभावी कार्यान्वयन और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को और ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए संवैधानिक प्रारूप में बदलाव करने में राज्य सरकारों/ग्राम पंचायतों को सहायता देना शामिल होगा।

(केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय)

(पसूका से साभार विशेष लेख)

(अनुवादः रीता कपूर)